


तारीख हुक्म

दावा

10.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। दलील वादीया व वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीया व वकील प्रतिवादी एवं पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीया व वकील प्रतिवादी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

